संख्या- 31/2023/711/001-53-2099-1284-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।

2. दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2023**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। अनुदान संख्या-16 (जिला योजना-सामान्य)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-139/दुग्ध-4/नियो0/कृषक प्रशि0-सामान्य(286)/2023-24, दिनांक 25 जुलाई, 2023, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख(रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधनों से उसका वहन करेंगे ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय। समस्त व्यय संबंधित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होगे।

(6) जिन मदों के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। प्रश्नगत धनराशि का जिलों को आवंटन उनकी मांग के औचित्य का परीक्षण करते हुए किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर लिया जाय। योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखों व बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020306 कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम **मानक मद** 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 31/2023/711/001-53-2099-1284-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

11- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी ।

12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

पंकज कुमार सिंह

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।